विवरण कॉलम 17 में लिखें। **6.28**पैरा 4 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट, यदि अभ्यर्थी को आवश्यक हो, तो इसको कॉलम 18 में नीचे दिए गए कोड के माध्यम से लिखें।

कोटि	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज. ज.ा	शारीरिक विकलांग	भू.पू. सै.	एस. आर.ई.	अर्द्ध प्रशा. कर्मचारी	कानूनी रूप से अलग महिला/विधवा	कश्मीरी मूल निवासी
कोड	01	02	03	04	05	06	07	08	09

6.29 पैरा 5 में वर्णित परीक्षा शुल्क से संबंधित विवरण कॉलम 19 में भरें। **6.30** अभ्यर्थी कॉलम 20 में बाएं हाथ के अंगूठे का स्पष्ट निशान लगाएं एवं कॉलम 21 में अपना हस्ताक्षर करें। **6.31** अभ्यर्थी पासपोर्ट आकार के हल्के रंग के पृष्ठभूमि पर खिंचा हुआ रंगीन फोटोग्राफ, जो 3 माह से अधिक पुराना न हो एवं बगैर टोपी एवं रंगीन चश्मा पहने खींचा गया हो,इस को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 22 में चिपकाएं और उसके नीचे बॉक्स में हस्ताक्षर करें। इस फोटोग्राफ पर कोई चिन्ह न लगायें या हस्ताक्षर न करें। फोटोग्राफ के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। फोटोग्राफ सही प्रकार चिपकाएं तथा स्टैपलर या पिन का प्रयोग न करें। **6.32** अभ्यर्थी आवेदन पत्र के कॉलम 23 में अपना हस्ताक्षर करें। **नोट**–अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र व व्यक्तिगत डाटा शीट भरने के बाद उसकी एक फोटो कॉपी भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

7.संलग्नकः–

आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा केवल निम्नलिखित प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो संलग्न किए जाने चाहिए। ऐसे सभी प्रमाण–पत्र जो कि हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कराये जाने चाहिए। **(i)** पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ अतिरिक्त (जिसके पीछे अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि अंकित करें) **(ii)** अनारक्षित एवं अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को पैरा 5 में दिये गए निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क के रूप में 40–/ रूपये का आई.पी.ओ./बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना चाहिए तथा इसे आवेदन पत्र के सबसे ऊपर संलग्न करें। **(iii)** व्यक्तिगत डाटाशीट के कॉलम 17 में उल्लेखित उच्चतर शैक्षणिक योग्यता की एक प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न करें। **(iv)** कॉलम 3 के अनुसार जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें। **(v)** अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों के मामलें में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें। इसके लिए अजा/अजजा/के लिए मसौदा प्रपत्र परिशिष्ट–I में, अपिव के लिए परिशिष्ट– II में तथा अजा/अजजा के वो अभ्यर्थी जो एक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र से विस्थापित होकर दूसरे राज्य या केन्द्रशासित क्षेत्र में बस गये हैं उनके लिए मसौदा प्रपत्र परिशिष्ट– III में दिया गया है। **प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारीः– (अ)** जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधीश/कलेक्टर/उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पद से कम न हो) **(ब)** मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट **(स)** राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो **(द)** उस क्षेत्र का उपमंडलीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और उसका परिवार साधारणतया रहता है। प्रशासक/प्रशासक सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह के मामले में)। **(vi)** भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के मामलें में सक्षम प्राधिकारी से नियमित सेवा की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति। **(vii)** शारीरिक विकलांग कोटा के अभ्यर्थियों के मामले में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट IV के अनुसार केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी हो। **(viii)**नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, यदि पहले से सेवारत है। **(ix)** उपरोक्त वर्णित संलग्नक रहित आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। **(x)** सभी संलग्नक की एक सत्यापित प्रति संलग्न की जानी है। बिना राजपत्रित अधिकारी के सत्यापित संलग्नक के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। **(xi)** आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं करें। **(xii)** कोई भी प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ इत्यादि जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न न हों, उसे बाद में अलग से आवेदन पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

8. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारः–

इस रोजगार सूचना में कुछ कोटियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं भले ही उनका समुदाय कुछ भी हो। भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है, वह व्यक्ति **(क)** जिसने भारत संघ की नियमित सेना, नौ सेना या वायु सेना के किसी पद पर सेवा की हो (चाहे वह सिपाही या गैर सिपाही के रूप में हो)। परन्तु इसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा सिपाही जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्धसैनिक बल में नौकरी की है और (ख) जो अपनी पेंशन लेने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत हुए हैं **(ग)** जिसे चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और मिलिट्री सेवा या परिस्थितियों का नियंत्रण से बाहर होना और मिलिट्री सेवा देना या अन्य अशक्तता पेंशन का आरोप हो या (घ) ऐसी संस्था के कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उसके अपने अनुरोध पर उसे मुक्त किया गया हो या **(ङ)** जो व्यक्ति संघ के सशस्त्र बल में सेवा करता हो, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आता हो को आबंध की विनिर्दिष्ट शर्तो के पूर्ण होने से पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने की अनुमति है और अपने लिए वो सारी छूट प्राप्त कर सकता है जो भूतपूर्व सैनिक को उपलब्ध है परन्तु उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं है, जब तक वे संघ सेवा के सशस्त्र बल में आबंध की विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा न कर लें और वह व्यक्ति जिसे दिनांक **31.12.2008** को या उससे पूर्व मिलिट्री सेवा से कार्यमुक्त होना है वे इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। **(i)** भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन प्रपत्र में समुदाय सहित सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है, तथा अपेक्षित सभी दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें, फिर भी कोटा उपलब्ध होने की स्थिति में समुदाय पर ध्यान दिए बिना केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कोटा के लिए भूतपूर्व सैनिकों पर विचार किया जाएगा। यदि अनारक्षित रिक्तियां उपलब्ध न हो तो विशेष समुदाय के भूतपूर्व सैनिक को उनके कोटे के प्रति जहां रिक्तियां उपलब्ध होंगी वहां विचार किया जाएगा। **(ii)**जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पहले ही ग्रुप 'डी' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में भूतपूर्व सैनिक कोटा कें तहत रोजगार प्राप्त कर लिया है उन्हें केवल आयु में छूट दी जाएगी, परन्तु उन्हें भूतपूर्व सैनिक कोटा के अन्तर्गत नहीं माना जाएगा।

9. शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी :–

(अ) (i) श्रवण विकलांग (हियरिंग हैंडीकैप्ड/एच.एच.) – वे हैं जिनकी श्रवण शक्ति सामान्य नहीं है। इस कोटि में वे आते हैं जिनकी अच्छे कान की श्रवण शक्ति श्रव्य आवृत्ति में 60 डेसीबल से अधिक समाप्त हो चुकी है। **(ii) अस्थि विकलांग (आर्थोपैडिकली हैण्डीकैप्ड/ओ.च.)** – जिनमें शारीरिक दोष और असमानताएं हैं जिससे अस्थियों मांसपेशियों और जोड़ों का सामान्य काम काज प्रभावित है। प्रमास्तिकीय पक्षाघात – जन्मपूर्व या बचपन में चोट लगने से मस्तिष्क का नियंत्रण न होने पर व्यक्ति का विकास रुक जाना, असामान्य हो जाना। (ब)**विकलांगता का प्रतिशत** – केवल वही उम्मीदवार विकलांग कोटे के तहत पात्र हैं जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत से कम विकलांग हैं उन्हें विकलांग कोटे के तहत आरक्षण या अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी एवं उन्हें सामान्य उम्मीदवार ही माना जाएगा, बशर्ते वे अन्य सभी योग्ताएं पूरी करते हों। (स)शारीरिक विकलांग कोटे के अभ्यर्थियों को उन्हीं पदों पर पदस्थापित किया जाएगा जो पद इनके लिए चिन्हित किये गये हैं। **नोटः– केवल शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है।**

10. सेवारत कर्मचारी :–

जो उम्मीदवार रेलवे सहित किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/प्रतिष्ठान में या अर्द्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालय/संगठनों तथा संस्थानों में सेवारत हैं, उन्हें या तो उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिसमें नियोक्ता के द्वारा विवरण को विधिवत प्रमाणित किया गया हो या सम्बद्ध नियोक्ता से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' लगाकर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को सीधे ही आवेदन भेजें। इसके अतिरिक्त पूरी तरह से भरे गये इस प्रकार के आवेदन पत्रों को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में 'अग्रिम प्रति' लिखकर इस प्रकार भेजें कि वह अंतिम तिथि तथा निर्धारित समय से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उमरे को पहुँच जाय। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति पर तभी विचार किया जाएगा जब उचित माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/उमरे के कार्यालय में अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा जिसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।